भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं .3020
11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2025

3020. श्री जगन् नाथ सरकारः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 के अंतर्गत भारतीय सांख्यिकी संस्थान का विद्यमान शासन तंत्र अप्रचलित, चुनाव-आधारित संरचनाओं, अत्यधिक आंतरिक प्रतिनिधित्व और कमजोर जवाबदेही से ग्रस्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ख) क्या माशेलकर समिति (2021) सहित कई समीक्षा समितियों ने संस्थागत अक्षमता, सुधारों के प्रति प्रतिरोध, प्रदर्शन मानदंडों की कमी और गैर-प्रदर्शन के लिए दंड न दिए जाने से संबंधित समस्याओं को दर्ज किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित आईएसआई विधेयक, 2025 को इन पुरानी प्रथाओं को एक सुव्यवस्थित शासी मंडल, योग्यता-आधारित नेतृत्व और आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर स्पष्ट जवाबदेही से बदलने के लिए पुरःस्थापित किया गया है;

(घ) क्या विधेयक का आशय आधुनिक शासन तंत्रों के माध्यम से शैक्षणिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आईएसआई विधेयक, 2025 की वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही पूर्व-विधायी परामर्श, कैबिनेट अनुमोदन और संसद में इसके पुरःस्थापन और इसके पारित होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) एवं (ख) जी हाँ । भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) अधिनियम, 1959 के मौजूदा ढांचे के तहत, चार समीक्षा समितियों (आरसी) ने समय-समय पर आईएसआई के कामकाज और प्रगति की जांच की है। इन समीक्षाओं से यह बात सामने आई है कि आईएसआई की शासन संरचना में कई पुरानी समस्याएं मौजूद हैं। डॉ. आर. ए. माशेलकर की अध्यक्षता में गठित चौथी आईएसआई समीक्षा समिति ने 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आईएसआई के प्रशासन में कई संरचनात्मक मुद्दों की पहचान की, जो संस्थागत अक्षमताओं, जवाबदेही की कमी और सुधारों के प्रति प्रतिरोध की ओर इशारा करते हैं।

दूसरी, तीसरी और चौथी आरसी में आईएसआई के शासी निकाय, आईएसआई परिषद के विशाल आकार को कम करने का सुझाव दिया गया है। दूसरी ओर, आईएसआई परिषद का आकार वास्तव में समय-समय पर बढ़ता ही गया है और अब यह 33 हो गया है। वर्तमान में, आईएसआई की परिषद में निदेशक और आईएसआई से घनिष्ठ रूप से जुड़े तीन आम सभा सदस्यों के अतिरिक्त, आईएसआई के 13 कर्मचारी हैं।

इसका तात्पर्य यह है कि परिषद के 33 सदस्यों में से 17 आंतरिक सदस्य हैं और परिषद की चर्चाएं आंतरिक विचारों से काफी प्रभावित होती हैं, जिससे स्वतंत्र शासन बाधित होता है। इस संबंध में, चौथे आरसी ने यह पाया है कि आंतरिक मुद्दे और हित उस दूरदर्शी नेतृत्व की भूमिका पर हावी हो जाते हैं जिसकी परिषद से अपेक्षा की जाती है, और यथास्थिति अक्सर एकमात्र व्यवहार्य विकल्प बन जाती है, और इसलिए, संस्थान में मौजूदा संरचनाओं में व्यापक संशोधन की संस्तुति की है। आईएसआई परिषद के बड़े आकार और उसमें आंतरिक प्रतिनिधित्व की अधिकता के कारण, चौथे आरसी ने परिषद के आकार को कम करने और पुनर्गठन की संस्तुति की, जिसे संस्थान द्वारा लागू नहीं किया गया।

आईएसआई की शासन प्रणाली चुनावों पर काफी हद तक निर्भर है, जिसमें कई पद योग्यता के आधार पर नियुक्तियों के बजाय आंतरिक मतदान द्वारा भरे जाते हैं। इस संबंध में, चौथे आरसी ने विभागाध्यक्षों और डीन के चुनावों को बंद करने की संस्तुति की थी, जिसे संस्थान द्वारा लागू नहीं किया गया। माशेलकर समिति ने यह भी पाया कि संस्थान के कर्मचारियों, जिनमें वैज्ञानिक कर्मचारी भी शामिल हैं, के बीच जवाबदेही का स्तर कम है, कार्य मानदंड नगण्य हैं, काम में लापरवाही के लिए कोई दंड नहीं दिया जाता है, और किसी भी मूलभूत सुधार के प्रस्ताव (जिनमें पिछली समीक्षा समितियों द्वारा सुझाए गए कुछ प्रस्ताव भी शामिल हैं) को अब तक लागू करना मुश्किल साबित हुआ है।

निष्कर्ष निकालते हुए, चौथी समीक्षा समिति का यह मत था कि आईएसआई अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुँच सकता है और एक बड़ा बदलाव ला सकता है, यदि वह कुछ मूलभूत परिवर्तन ला सके, जिनमें से कुछ केवल क्रमिक नहीं बल्कि इसकी संरचना, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में वास्तव में आमूलचूल परिवर्तन हों, और शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रत्येक कर्मचारी तक, उच्च स्तर की आकांक्षाओं द्वारा समर्थित हों। आईएसआई को अपनी नेतृत्व स्थिति को पुनः प्राप्त करने और बदलते समय में प्रासंगिक बने रहने के लिए स्वयं को पुनर्कल्पना, पुनआविष्कार और पुनर्स्थापित करना होगा, और जैसे ही आईएसआई 2031 में अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश करता है, उसे एक नया आईएसआई@100 विजन बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए, जो वर्तमान अच्छे से सर्वश्रेष्ठ की ओर अग्रसर हो, और विश्व स्तर पर अग्रणी संस्थानों में से एक बन जाए।

(ग) जी हाँ । भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 का मसौदा एक व्यापक नवीन विधान प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य मौजूदा आईएसआई अधिनियम, 1959 को अन्य समकक्ष आईएनआई जैसे आईआईटी/आईआईएम के शासी विधानों के स्तर तक उन्नत करना है, ताकि संस्थान की स्वायत्तता और जवाबदेही को बढ़ाकर उसके शासन ढांचे का आधुनिकीकरण और पूर्ण सुधार किया जा सके। इस विधेयक के मसौदे का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, पिछले दशकों में समीक्षा समितियों द्वारा पहचाने गए संरचनात्मक और विरासत संबंधी मुद्दों को संबोधित करना है।

प्रस्तावित विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को निगमित निकाय के रूप में समाविष्ट करने का प्रावधान है और प्रभावी शासन हेतु वैधानिक निकायों का अवसंरचना भी प्रस्तुत की गयी है। शासी मंडल 11 सदस्यों वाला एक सशक्त और सुव्यवस्थित निकाय होगा। इस मंडल को संस्थागत मामलों पर व्यापक

विनियमन बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रस्तावित विधेयक विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही के चैनलों को सुव्यवस्थित भी करता है।

(घ) जी हाँ। आईएसआई विधेयक 2026 का मसौदा अधिक सुदृढ़ और समकालीन शासन अवसंरचना प्रदान करता है, जो आईएसआई को सांख्यिकी और संबद्ध विषयों में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उभरने में सक्षम बनाता है। यह मसौदा विधेयक उत्कृष्टता, प्रभावी शासन, स्वायत्तता और जवाबदेही के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है। संस्थान के वैधानिक प्राधिकारी, अर्थात् विजिटर, शासी मंडल, अकादमिक परिषद, निदेशक, प्रबंधन परिषद, केंद्र निदेशक और रजिस्ट्रार, तथा उनकी भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व प्रस्तावित विधान में शामिल की गई हैं। शासी मंडल एक सशक्त और सुव्यवस्थित निकाय होगा जिसमें 11 सदस्य होंगे और आंतरिक और बाहरी सदस्यों का संतुलित प्रतिनिधित्व होगा। मंडल में केवल एक सरकारी मनोनीत सदस्य, पाँच बाहरी विशेषज्ञ (अध्यक्ष सहित) और संस्थान के पाँच आंतरिक सदस्य होंगे, जिनमें अकादमिक परिषद के दो सदस्य भी शामिल हैं। इससे संस्थान को अकादमिक और शासन संबंधी स्वायत्तता प्राप्त होगी।

सभी पूर्णकालिक प्रोफेसरों और अन्य पूर्णकालिक संकाय सदस्यों को (बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार) अकादमिक परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे अकादमिक परिषद का दायरा व्यापक और अधिक प्रतिनिधिपूर्ण होगा, और अकादमिक प्रशासन में वरिष्ठ संकाय सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित होगी, जिससे संस्थान की अकादमिक स्वायत्तता सुदृढ होगी। प्रस्तावित वैधानिक अकादमिक परिषद को अनिवार्य और अनुशंसात्मक दोनों शक्तियां दी गई हैं, जबकि वर्तमान अकादमिक परिषद केवल आईएसआई परिषद को अनुशंसाएं कर सकती है।

इस विधेयक में संस्थान के केंद्रों की मान्यता और उन्हें स्वायत्तता (जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा) प्रदान करने का प्रावधान है। संस्थान के केंद्रों को पर्याप्त वित्तीय, प्रशासनिक और शैक्षणिक शक्तियां दी जाएंगी, तथापि वे अपनेअपने प्रबंधन परिषदों के माध्यम से निर्णय लेने और कार्य करने में स्वायत्तता - प्राप्त कर सकें।

उपरोक्त प्रावधान सामूहिक रूप से शैक्षणिक स्वायत्ता को सुदृढ करेंगे। विधेयक विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही के चैनलों को सुव्यवस्थित करता है। इसमें विजिटर द्वारा समीक्षा और जांच, बोर्ड द्वारा मध्यम अवधि और दीर्घकालिक योजनाओं की समीक्षा और निदेशक द्वारा वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट और वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय महत्व के अन्य समकक्ष संस्थानों के वैध और शासन अवसंरचना के साथ आईएसआई को संरेखित करके, आईएसआई विधेयक 2026 का उद्देश्य संस्थागत स्वायत्तता और जवाबदेही को बढ़ाना और विश्व स्तरीय शिक्षा, अनुसंधान और नीतिगत सहायता प्रदान करने की इसकी क्षमता को सुदृढ करना है।

(ङ.) आईएसआई विधेयक के मसौदे पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श सहित पूर्व-विधायी परामर्श संपन्न पूरा कर लिया गया है। मसौदे की विधायी संवीक्षा भी पूरी कर ली गयी है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामला निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचाराधीन है।

****